A4/5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 36/2018

आर.सी.एम.एस. : 2018/00415

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भलाराम पुत्र पुकाराम जाति गुर्जर निवासी मालपुरिया खुर्द तह.सोजत जिला पाली		1. भंवरलाल पुत्र पुकाराम जाति गुर्जर निवासी मालपुरिया खुर्द तह. सोजत जिला पाली 2. गेनाराम पुत्र पुकाराम जाति गुर्जर निवासी मालपुरिया खुर्द तह.सोजत जिला पाली 3. तहसीलदार भूमिधारक सोजत सिटी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री दौलत मकवाना

–: निर्णय :–

दिनांकः– 1-11-2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम मालपुरिया खुर्द के नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 15.09.1986 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम मालपुरिया खुर्द में आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम आवंटित होकर राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 34 से खातेदारी दर्ज की गई तब से लेकर भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नही है। भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पैतृक एवं पुश्तैनी कतई नही है और न ही नामान्तरकरण संख्या 34 फौतेदगी दर्ज किया गया है। माफिक आवंटन आदेश अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भूमि को पुश्तैनी कृषि भूमि बताते हुए राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 96 के द्वारा दर्ज करवा दिया। तत्कालीन तहसीलदार सोजत ने बिना दस्तावेज की जांच किये विधि विरूद्ध तरीके से अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर, पाली

संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 96 दर्ज किया जो निरस्त किया जाने योग्य है। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व तथा वक्त आवंटन के बाद अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त इत्यादि नही था, इसलिए यह नही कहा जा सकता कि पूर्व मे नामान्तरकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम दर्ज होने से शेष रह गया हो। तहसीलदार को किसी की खातेदारी दर्ज करना या पूर्व में दर्ज नामान्तरकरण में हुई त्रुटि को शुद्धि करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। तहसीलदार सोजत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गेनाराम का नाम दर्ज करने का पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए पारित किया है जो निरस्त योग्य है। भूमि अपीलाण्ट की स्वअर्जित है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने से राज्य सरकार द्वारा अपीलाण्ट के नाम मौके पर माफिक कब्जा अनुसार भूमि आवंटित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। तहसीलदार सोजत ने बिना किसी विधिक आदेश के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है जिसके लिए वे सक्षम नही है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 96 भरा गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 15.9.1986 अपीलाण्ट के हक अधिकारो के विरूद्ध बेअसर एवं शून्य है तथा नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नही होते है और न ही किसी प्रकार के कोई अधिकार है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 31.7.2018 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 96 दर्ज करवाकर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया इससे पूर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, बल्कि सही तथ्य तो यह है कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 96 की स्वीकृति दिनांक 15.9.1986 से अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की बहुत अच्छी तरह से व्यक्तिगत जानकारी ज्ञान एवं ध्यान था और है। साथ ही मौजा मालपुरिया के खसरा नम्बर 260,261,262,266 एवं 419 में स्थित भूमि में अपीलाण्ट ने अपना 1/3 हिस्सा मारवाड़ ग्रामीण बैंक शाखा सरदार समंद के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया जिस रहन का नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 12.5.1998 को स्वीकृत किया गया जो ना.क.संख्या 181 व जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियों से प्रकट है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह साबित है कि वर्ष 1998 मे अपीलाण्ट ने राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त कर उपरोक्त खसरो की भूमि में अपना 1/3 हिस्सा होना स्वीकार कर उक्त 1/3 हिस्सा मारवाड़ ग्रामीण बैंक के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया। इसके अलावा अपीलार्थी ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि मे अपना 1/3 हिस्सा मारवाड़ ग्रामीण बैंक शाखा जाडन में रहन रखकर ऋण प्राप्त किया जिसका रहन का नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 31.12.2012 को स्वीकृत किया गया जो जमाबंदियो की प्रमाणित प्रतियों से प्रकट है। अपीलाण्ट ने वर्ष 2020 में बेचान दस्तावेज मे भी अपने

अति. जिला कलक्टर, पाली

1/3 हिस्से की भूमि को स्वीकार किया है। इसी प्रकार 1/3 हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 377 मे भी स्वीकार किया गया है। जैर अपील भूमि तीनो भाईयों को आवंटित हुई थी। इसलिए तीनो के नाम आने चाहिए थे। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 96 सही तरीके से भरा गया है तथा नामान्तरकरण में कब्जा भी अलग अलग तीनो का होने का अंकन है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील प्रश्नगत भूमि आवंटित होने से नामान्तरकरण संख्या 34 के जरिये अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात तहसीलदार सोजत के आदेशानुसार जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 96 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गेनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलांट ने आवंटन आदेश की प्रति पेश नही की जिससे यह स्पष्ट हो सके की भूमि किन–किन व्यक्तियों के नाम आवंटित हुई थी साथ ही अपीलांट को तहसीलदार सोजत के उस आदेश की अपील करनी चाहिए थी जिसकी पालना में जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 96 भरा गया परन्तु अपीलांट द्वारा ना.क.संख्या 96 को ही चुनौति दी गई है। अपीलाण्ट स्वयं ने वर्ष 2020 में सम्पादित बेचान दस्तावेज मे भी अपने 1/3 हिस्से की भूमि होना स्वीकार किया है। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक अधिकार निहित होने से जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 1-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली